भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3931

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा

3931. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितने प्रतिशत महिलाएं और युवा बेरोजगार है;

(ख) क्या भारतीय कार्यबल की कुल संख्या का एक बड़ा प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले का संज्ञान लिया है और इसकी जाँच की है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ और कानूनी संरक्षण प्रदान करने की दिशा में वर्तमान श्रम नीतियों के समक्ष आ रही विशिष्ट चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ड) उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(च) छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ डाले बिना अधिक कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही किसी नई पहल का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या वर्तमान श्रम नीतियाँ स्वाचालन और नवीनतम तकनीकों के प्रयोग के साथ-साथ बदलती अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यबल को तत्काल पुनः कौशल प्रशिक्षण देने और उनका उन्नयन करने का पर्याप्त समर्थन करती हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) श्रम अधिकारों के संरक्षण और श्रम बाजार में अनुकूलननशीलता और लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए उनके लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी (यूआर) दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है जो युवाओं की वैश्विक बेरोजगारी दर 13.3% से कम है [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान, 2024 के अनुसार]। इसके अतिरिक्त, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 5.6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

(ख) और (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पे-रोल आंकड़े औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर को दर्शाते हैं। वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 7.54 करोड़ से अधिक अभिदाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हुए हैं, जो औपचारिक रोजगार की ओर बदलाव को रेखांकित करता है।

(घ) से (ज): विधायी सुधारों के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में सम्मिलित किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य रोजगार अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करते हुए प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालनात्मक संबंधी बोझ को घटाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना; कारखाना लाइसेंस; अनुबंध श्रम लाइसेंस के लिए स्तर बढ़ाना; छंटनी, कामबंदी हेतु पूर्व अनुमति तथा स्थायी आदेशों के प्रमाणन और कलोजर्र के लिए प्रावधान प्रदान करना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और दिव्यांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का भी प्रावधान है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, समुचित सरकार के तौर पर, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करती हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है और उन्हें वेतन संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह संहिता न्यूनतम वेतन को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू करती है और इस प्रकार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत अनुसूचित रोजगारों तक सीमित न्यूनतम वेतन की प्रतिबंधात्मक प्रयोज्यता को पीछे छोड़ देती है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) को लागू कर रही है जिसका उद्देश्य कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करना है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **' फ्यूचर स्किल्स प्राइम'** कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 18.56 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पर साइन-अप किया है**,** जिनमें से 3.37 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्लयू) बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in**)** लॉन्च किया है जो आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य स्व-घोषणा के आधार पर असंगठित कामगारों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को असंगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए**,** वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में ई-श्रम को विकसित करने की बजट घोषणा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम- “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” लॉन्च किया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल का औपचारिकीकरण करना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता में वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****